

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: प्रारूप - 6 ::

राजस्थान सिविल सेवा(पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्री भुवनेश्वर शर्मा व्याख्याता, स्कूल शिक्षा, जीव विज्ञान, राउमावि केशवराय पाटन, जिला—बून्दी, जन्म तिथि 02.02.1960 ने दिनांक 28.08.2019 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 02.12.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है।

श्री भुवनेश्वर शर्मा व्याख्याता, स्कूल शिक्षा, जीव विज्ञान, राउमावि केशवराय पाटन, जिला—बून्दी, पन्द्रह वर्ष की अर्हकारी सेवाएँ पूर्ण करने संबंधी शर्त पूर्ण करते हैं। अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के प्रावधानान्तर्गत इनकी दिनांक 02.12.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री भुवनेश्वर शर्मा के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 19 के अधीन को विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।

(नर्मल डिल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,

बीकानेर

क्रमांक—शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/स्वै.से.नि./2019-20/५३ दिनांक: ०१/०१/१९

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेशन विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग,
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर
4. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) बून्दी।
6. प्रधानाचार्य, राउमावि केशवराय पाटन, जिला—बून्दी
7. श्री भुवनेश्वर शर्मा व्याख्याता, जीव विज्ञान, राउमावि केशवराय पाटन, जिला—बून्दी (वरिओ30 पद के वरिष्ठता क्रमांक एवं वर्ष – 1792/91-92 डीपीसी चयन वर्ष 2013-14)
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/प्रभारी ओएसी प्रभाग, अनुभागों को सूचनार्थ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्यक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर